2894
संख्या : /आठ–1–15

प्रेषक,

पंनधारी यादव,
सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1. **आवास आयुक्त,**
उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद,
उ0प्र0।

2. **उपाध्यक्ष,**
समस्त विकास प्राधिकरण,
उ0प्र0।

3. **मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक,**
नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग,
उ0प्र0।

4. **अध्यक्ष,**
समस्त विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण,
उ0प्र0।

5. **नियंत्रक प्राधिकारी,**
समस्त विनियमित क्षेत्र,
उ0प्र0।

आवास एवं शहरी नियोजन अनुभाग–1 **लखनऊ : दिनांक : 31 अगस्त, 2015**

विषयः–सरकारी संस्थानों/उपकमों में विद्युत का उपयोगा, संरक्षण एवं विद्युत बिल में कमी के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त के संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि ऊर्जा संरक्षण अधिनियम–2001 के प्राविधानों के अन्तर्गत उत्तर प्रदेश पॉवर कारपोरेशन को उत्तर प्रदेश में ऊर्जा बचत एवं ऊर्जा दक्षता एवं ऊर्जा संरक्षण हेतु ''स्टेट डिजिगनेटेड एजेन्सी'' नामित किया गया है, जो कि ब्यूरो ऑफ इनर्जी एफिशिएन्सी, विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार के परामर्श से प्रदेश में ऊर्जा बचत सुनिश्चत करने के लिए कार्यरत हैं। विभिन्न विभागों में किये गये प्रयोगों से स्पष्ट हुआ है कि ऊर्जा दक्ष एल.ई.डी. लाइट्स का प्रयोग करने पर ऊर्जा की बचत हुयी।

2– अतः उक्त के कम में निम्नवत कार्यवाही करने का कष्ट करें :–

क. समस्त विकास प्राधिकरणों एवं उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद द्वारा विकसित की जाने वाली नयी योजनाओं के विकास कार्यों में स्ट्रीट लाइट के रूप में अनिवार्य रूप से एल.ई.डी. लाइट्स का प्रयोग किया जाये।

ख. ऐसी कालोनियॉ जिन्हें नगर निगम/स्थानीय निकाय/उ0प्र0 पावर कारपोरेशन को हस्तगत नहीं किया गया है, उनमें पूर्व में लगी स्ट्रीट लाइट के खराब होने पर एल.ई.डी. लाइट ही प्रतिस्थापित की जाये।

E:/Awas-1/Rakesh Kant/G.O. 2014

ग. उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद एवं समस्त विकास प्राधिकरणों के कार्यालयों में भी यथासम्भव एल.ई.डी. लाइट्स का प्रयोग सुनिश्चित किया जाये।

3– इस संबंध में केन्द्र सरकार के उपक्रम इनर्जी एफिशिएन्सी सर्विसेज लि. चौथा तल, सेवा भवन, आर0के0 पुरम, नई दिल्ली की सहायता प्राप्त की जा सकती है तथा अधिक जानकारी के लिए स्टेट डिजिगनेटेड एजेन्सी नियोजन स्कन्ध, उ0प्र0 पॉवर कारपोरेशन लि0 शक्ति भवन, 14 अशोक मार्ग, लखनऊ (Email:reupsda@mail/com) से सम्पर्क करने का कष्ट करें।

उपरोक्त आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होंगे।

भवदीय,

(पनधारी यादव)
सचिव।

संख्या एवं दिनांक तदैव।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. अधिशासी निदेशक, आवास बन्धु, उ0प्र0।
2. गार्ड फाइल हेतु।

आज्ञा से,

~~(कृपा शंकर शुक्ल)~~
~~उप~~ सचिव।